Acceptance of Levy by FCI from Millers

5068. SHRI AHMED MOHMEDBHAl PATEL : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government have asked the Food Corporation of India not accept levy rice from millers more than it is legally allowed;

(b) if so, what are the reason for issuing this directive;

(c) whether it has also been brought to the notice of Government that millers are procuring cheaper rice from the open market and passing it off to FCI as levy rice;

(d) if so, whether the estimates of 7th March, 1994, show that the rice procurement had crossed 11:81 million tonnes;

(e) if so, to what extent it was more in comparison to the previous year;

(f) whether it has also been reported that the procurement pace of rice has slackened considerably and that this year the rice procurement is not likely to exceed: and

(g) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) Government has decided not to accept levy rice beyond the statutory limit in any of the States. However, in the case of Andhra Pradesh and Orissa which are having two distinct procurement iseasons paddy, it has been agreed to accept the levy rice in exeess of statutory limit prescribed for a particular season to be adjusted in due course for the whole year.

(c) Govermnent is not aware of any such case.

(d) and (e) A quantity of 11.82 million tonnes of rice has been procured during 1993-94 Kharif Marketing Season till 7th March, 1994, as against a corresponding procurement of 7-77 million tonnes of rice during 1992-93 Kharif Marketing season.

(f) and (g) Procurement of rice during 1992-93 and 1993-94 Kharif Marketing season is as under :—

(In lakh ronnes)

1992-93	1993-94
117·93	125·22 (as on 25-4-1994)

चीनी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव

5069. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के समय में चीनी के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होने के क्या कारण हैं;

(ख) मार्च, 1994 की तुलना में अप्रैल, 1994 के लिए चीनी का कम कोटा जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) चीनी के मूल्यों को स्थिर करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) घरेलू खपत के लिए चीनी के मासिक खुली बिक्री कोटे की मात्रा का निर्धारण उत्पादन, स्टाक, आवश्यकता, अन्य वैकल्पिक मीठा कारकों जैसे गुड़ व खांडसारी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । रिलीज प्रक्रिया को विवेकपूर्ण तरीके से विनियमित किया जाता है जिससे उप-

भोक्ताओं के लिए चीनी के मूल्य को उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके तथा चीनी उत्पादक भी गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य अदा करने में समर्थ हो सकें । चीनी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव में मुख्यत: मांग व पूर्ति के कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ।

(ख) पिछले तथा चालू 1993-94 चीनी मौसम में चीनी के उत्पादन में गिरावट आने से चीनी की कम उपलब्धता के कारण मार्च, 1994 की तुलना में अप्रैल, 1994 में चीनी के कोटे में कमी की गई है ।

(ग) 1993-94 मौसम के दौरान उत्पादन में संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए तथा देश में चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के तहत चीनी का आयात करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है । ऐसे आयात पर कोई सीमा शुल्क तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा । आशा की जाती है कि इससे चीनी की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने तथा खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी ।

केन्द्रीय पूल के लिए राज्यों से पाम-आयल की खरीद

5070. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या खाद्य मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 1598 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए पाम-आयल की खरीद में राज्यों के हिस्से से संबंधित आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में केन्द्रीय पूल से राज्यों को पाम-आयल के पृथक-पृथक वितरण संबंधी वार्षिक आंकड़ों का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 के वर्ष के लिए गुजरात सहित अन्य प्रत्येक राज्य से खरीद के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन राज्यों ने अतिरिक्त पाम-आयल की मांग की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) देश में केन्द्रीय पूल के लिए पामोलीन सहित किसी प्रकार के खाद्य तेल की वसूली नहीं की जाती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए केवल विदेशों से आयातित खाद्य तेलों का वितरण किया जाता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1990-91 से 1993-94 (मार्च तक) तक के तेल वर्षों (नवम्बर—अक्तूबर) के दौरान आयातित तेलों के आवंटन और उठाव की राज्य-वार स्थिति दी गई है **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) इस समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का नियमित रूप से आवंटन नहीं किया जा रहा है क्योंकि खुले बाजार में स्वदेशी तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आयातित पामोलीन की कोई देशव्यापी मांग नहीं है । तथापि, यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई मांग प्राप्त होती है तो उस मांग के प्रति उन्हें तदर्थ आवंटन किए जाते हैं ।